

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 144 / 2022

मूलाराम पुत्र वागाराम

बनाम

विप्राथी
सरकार जसिये

जाति कलबी चौधरी

तहसीलार पचपदरा

निवासी बालोतरा तहसील

पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :-

1. श्री करणसिंह सोलंकी अधिवक्ता,प्राथी की ओर से उपस्थित।
2. तहसीलदार पचपदरा विप्राथी उपस्थित।

आदेश

दिनांक- 30.09.22

1.संक्षेप में आवेदन-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम बालोतरा खालसा गांव रहा है,जिसमें एक से अधिक सेन्टलमेंट प्रभाव में आये है,प्रथम सेटलमेंट संवत 2012 मुताबिक वर्ष 1955 में प्रभाव में आया। प्रथम सेटलमेंट के अनुसार द्वितिय सेटलमेंट में भूमियों के रकबे में परिवर्तन किया गया। कि ग्राम बालोतरा पटवार मण्डल बालोतरा में खातेदारी मूल खेत खसरा संख्या 299 था,जो गोविन्दराम वगैरा की खातेदारी में होना अंकित है। मूल खसरा संख्या 299 से विभक्त होकर नये खसरा संख्या 299/1 से 299/4 कायम हुए,खसरा संख्या 299/1 व 299/4 जो कि मूल रूप से खसरा संख्या 299 के भाग थे,जो आबादी भूमि थी। उक्त भूमि के समीप मूल खसरा संख्या 982 किस्म गैर मुमकिन नदी आयी हुई है,कि प्राथी के एकल मालिकाना स्वामित्व के पटटाशुदा भूखण्ड मूल खसरा संख्या 299 व 299 के नये बट्टा नम्बर सीमा के भीतर स्थित है,उक्त भूखण्ड लूणी नदी की सीमा के भीतर नहीं है और न ही



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा


खण्ड के जरिये प्रार्थी द्वारा लूणी नदी के खसरा के भू भाग पर अतिक्रमण किया हुआ प्रार्थी को अपनी पट्टाशुदा भूखण्ड के उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार होने के उपरान्त भी राजस्व अधिकारियों ने विवादित भूमि का गलत तरीके से एकतरफा सीमांकन करते हुए प्रार्थी की पट्टाशुदा भूमि को गैर मुमकिन नदी में होना दर्शाते हुए राजस्व रेकार्ड में गलत तरमीम कर दी गई। अतः प्रार्थी अपनी मालिकाना स्वामित्व की पट्टाशुदा व कब्जासुदा भूखण्ड के राजस्व नक्शे व खतौनी को गत बंदोबस्त के नक्शे अनुसार दुरुस्त करने व सैटलमेंट अधिकारियों द्वारा पुनः बंदोबस्त के दौरान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के उक्त पट्टासुदा व कब्जासुदा भूखण्ड के खसरा संख्या व भूमि की किस्म बाबत किये गये परिवर्तन को गत बंदोबस्त के रेकार्ड अनुसार तरमीम दुरुस्ती करवाने हेतु आवेदन पेश किया है।

2. प्रार्थी का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया। विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया। विप्रार्थी की ओर से प्रार्थी के आवेदन-पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए अपना जवाब पेश किया तथा विवादित भूमि के संबंध में विप्रार्थी पक्ष की ओर से संशोधित जवाब पेश किया।

3. विवादित भूमि की मौका व रेकार्ड स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश करने हेतु कमेटी अदालत द्वारा गठित कर तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट चाहे जाने पर गठित कमेटी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट उपलब्ध करवाई गई।

4. प्रार्थी की ओर से दस्तोवजी साक्ष्य में कस्बा बालोतरा के प्रथम बंदोबस्त अनुसार नक्शे की फोटोप्रति, कस्बा बालोतरा के द्वितीय बंदोबस्त अनुसार नक्शे की फोटोप्रति, जमाबंदी ग्राम बालोतरा संवत् 1982 फोटोप्रति, बेरेवार जमाबंदी ग्राम बालोतरा संवत् 1982 फोटोप्रति, जमाबंदी ग्राम बालोतरा खसरा संख्या 299 के बट्टे हुए जा फोटोप्रति, खसरा बंदोबस्त की फोटो प्रति, सुपर इम्पोज नक्शा की फोटो प्रति, स्वामित्व दस्तावेजात पट्टा मय बेचाननामा फोटो प्रति, माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र की फोटो प्रति, सरकार का जवाब आवेदन पत्र

फोटो प्रति व जवाबुल जवाब फोटो प्रति एवं विवादित भूमि के सुपर इम्पोज नक्शा प्रति या पत्र की गई।


सपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

क्ष की अन्तिम बहस सुनी गई थी। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से लिखित बहस पेश की थी और दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने तर्क दिये थे,कि सम्वत् 2012,वर्ष 1955 के पश्चात् सम्वत् 2024 अर्थात् वर्ष 1967 में पुनः सेटलमेन्ट हुआ और सम्वत् 2024 में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा जो राजस्व नक्शा तैयार किया गया,उसकी फोटोप्रति-2 संलग्न हैं। सम्वत् 2012 वर्ष 1955 में जब सेटलमेन्ट हुआ उस सेटलमेन्ट के बाद जो जमाबन्दियां कायम की गईं,उसके मुताबिक खसरा नंबर 299 व उसके विभक्त होकर नये खसरान नम्बर 299 /2 , 299 , 299/3,299/1,299/4 कायम हुए। जिसमें भूमि किस्म काबिल काश्त होना व गोविन्दराम वगैरा की खातेदारी भूमि होना अंकित हैं,विवरणानुसार भूमि गैर मुमकिन नदी नही थी तथा खातेदारी/बेरा/आबादी/सड़क के रूप में उपयोग ली जा रही थी। खसरा नंबर 299 की उपर वर्णित आबादी भूमि पर प्रार्थी का अपने पूर्वजों/हकपूर्वाधिकारियों के समय से कब्जा चला आ रहा था और तामिरे भी बनी हुई थी। सम्वत् 2024 में सेटलमेन्ट के समय तैयार किये गये खसरा मिलान से स्पष्ट हैं,कि खसरा नंबर 299/1 व 299/4 जो कि मूल रूप से खसरा नंबर 299 के भाग थे,वह भूमि सेटलमेन्ट के अधिकारियों द्वारा आबादी भूमि में दर्ज नही की गई और यही नही,सेटलमेन्ट में पूर्व में जो गैर मुमकिन नदी की जो स्थिति बताई गई थी,उस गैर मुमकिन नदी की स्थिति को राजस्व नक्शे में मनमाने तरीके से हेरफेर कर दिया गया। प्रथम सेटलमेन्ट सम्वत् 2012 अर्थात् वर्ष 1955 के समय जो राजस्व नक्शा बनाया गया और दुबारा सेटलमेन्ट सम्वत् 2024 वर्ष 1967 के समय जो राजस्व नक्शा बनाया गया,उनको देखने मात्र से स्पष्ट हैं कि पूर्व में खसरा नंबर 299 की भूमि थी,उस भूमि को राजस्व नक्शे में गलत तरीके से नदी की सूची में सम्मिलित कर दिया गया। इस प्रकार स्पष्ट हैं कि राजस्व नक्शा व रेकार्ड बनाने में त्रुटि कारित हुई हैं। कि खसरा नंबर 299 व 299 के बट्टे की भूमि जो कि आबादी भूमि थी,उस भूमि को सेटलमेन्ट अधिकारी द्वारा बिना सक्षम अधिकारी के आदेश से एवं न्यायालय के आदेश के बगैर राजस्व नक्शे में इस प्रकार से हेर फेर नही किया जा

सकता। उनके द्वारा राजस्व नक्शा बनाने में जो त्रुटि कारित हुई हैं वह दोनो नक्शों एवं खसरा मिलान से भी स्पष्ट हैं। राजस्व नक्शे में कतई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व नक्शों में खसरा नंबर 299/1 व 299/4 की स्थिति को परिवर्तन किया गया जिससे पूर्व सेटलमेन्ट के प्राधिकृत अधिकारी अथवा किसी भी न्यायालय का कोई आदेश नहीं था और उसके अभाव में सेटलमेन्ट के अधिकारी व कर्मचारी कतई राजस्व नक्शे में जिस प्रकार से परिवर्तित किया गया है, उसे परिवर्तित नहीं कर सकते थे। कि उपरोक्त सेटलमेन्ट में, सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा बिना सक्षम न्यायालय के आदेश व निर्णय के ही राजस्व रेकार्ड में पुराने इन्द्राज के स्थान पर नये इन्द्राज कर दिये गये एवं भूमि की किश्म को परिवर्तित कर दिया, जिसका कानूनन उन्हें कोई अधिकार ही नहीं था। सेटलमेन्ट प्रक्रिया में बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के भूमि-अभिलेख में प्रविष्टियों की निरंतरता को समाप्त नहीं किया जा सकता था एवं राजस्व नक्शे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता था, यदि सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा ऐसा किया जाता है, तो उनका उक्त आदेश/प्रक्रिया बिना अधिकार के होने से अवैध एवं void ab initio है, ऐसी अवैधता को किसी भी वक्त चुनौती दी जा सकती है। उपरोक्त पदों का विप्रार्थी की ओर से Evasive Reply दिया गया है, जो कि विप्रार्थी द्वारा Deemed Admission, स्वीकारोक्ती) की श्रेणी में आता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 के पद संख्या 19 में यह उल्लेखित किया है, कि खसरा नं 299 की खातेदारी की भूमि 25.17 बीघा थी तथा 1967 में जरीब 132 X 132 की परिवर्तित कर 165 X 165 की गई, तब भी केवल मात्र 10.01 बीघा भूमि ही खातेदारी में दर्ज हुई शेष 6.10 बीघा त्रुटिपूर्ण नदी में दर्ज हो गयी। कि विप्रार्थी राजस्थान सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन डी.बी.सिविल रिट संख्या 544/2020 में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जो जवाब प्रस्तुत किया गया है, उस जवाब में विप्रार्थी राजस्थान सरकार द्वारा यह तथ्य पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है, कि पूर्व में जब जरीब 132 थी, तो खसरा नं 299 एवं उसके विभिन्न बट्टों को कुल रकबा 25.17 बीघा था। कालान्तर में विभाग द्वारा जरीब 165X165 की गई थी, तो उक्त खसरा संख्या 299 मय बट्टा नंबर का रकबा 16.11 बीघा अंकित किया जाना था परन्तु खसरा नुम्बरोबस्त अनुसार 10.01 बीघा भूमि ही खातेदारी में अंकित की गई शेष 06.10 बीघा भूमि सेटलमेन्ट के अधिकारियों द्वारा बिना किसी विधिपूर्ण अधिकारीता/प्रक्रिया के प्रार्थी की भूमि



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) जयपुर

प्राणी की ओर से आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 आरएलआरएक्ट के तहत आवेदन-पत्र व अपनी बहस में मूल्या इस्तदूआ चाही है कि गत सेटलमेंट में प्राणी की प्रभुता आबादी भूमि खसरा संख्या 299 में अवस्थित थी लेकिन द्वितीय सेटलमेंट के समय प्राणी की विवादित भूमि आबादी भूमि होने के उपरान्त भी तत्कालीन राजस्व अधिकारियों द्वारा अपनी मनमर्जी तरीके से गलत सर्वे करते हुए गलत तरीके से प्राणी की स्वामित्व पट्टाधुदा भूमि को गैर मुमकिन नदी में रेकर्ड व तरमीम अंकन कर, दी गई जो आदिनांक तक गलत तरीके से किया गया रेकर्ड इन्दाज चला आ रहा है जिसे निरस्त करते हुए प्राणी की विवादित भूमि को आबादी खसरा संख्या 299 की सीमाओं के भीतर होना मानकर राजस्व अभिलेख व तट्टा नक्शों में तरमीम दुरुस्ती करवाना चाह रहे हैं। यह तो तय है कि गत सेटलमेंट के अनुसार प्राणी की प्रभुता भूमि आबादी खसरा 299 की सीमा के भीतर आया हुआ था। विवादित भूमि खसरा संख्या 299 आबादी भूमि में अवस्थित थी और द्वितीय सेटलमेंट के दौरान प्राणी की विवादित भूमि आबादी में होने के उपरान्त भी तत्कालीन सेटलमेंट अधिकारियों गैर मुमकिन नदी में अंकन कर दी गई जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों को गत सेटलमेंट के अनुसार ही रेकर्ड रिपेट करना चाहिए था। जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 2022(2) DNI (Raj.) पृष्ठ 593 Raj. High Court State of Rajasthan V/s Kalu & Ors. में प्रतिपादित किया है कि Settlement Department has no right to reduce the area of the land व 2017 (4) DNI (Raj.) पृष्ठ 1740 Raj. High Court Jodha Ram Brahmmin & Anr. V/s Board of Revenue for Rajasthan में प्रतिपादित किया है कि व RRT 2022 (1) तीजो बनाम बाबूलाल पृष्ठ 35 में प्रतिपादित किया है कि खातेदारी अधिकारों में परिवर्तन करने का भू प्रबंध विभाग को अधिकार नहीं है एवं अपील LR 6933/2011 राजस्व मण्डल अजमेर उदयलाल बनाम सरकार जरिये तहसीलदार निर्वाचन वगैरा निर्णय दिनांक 03/12/2012 में भी वर्णित है कि राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी या खातेदारी का जो भी अंकन भू प्रबंध कार्यवाही से पूर्व का है उसे नये रिकार्ड में दोहराया जाना चाहिए जब तक कि किसी शकम न्यायालय का इन इन्दाजात को बदलने का आदेश ना हो।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बांसीनगर

विभाग को यह अधिकार नहीं है कि राजस्व रिकॉर्ड में आये इन्दाजाल को अपने स्तर बदले। माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से स्पष्ट साबित होता है कि राज सेटलमेंट के रेकार्ड के अनुसार ही द्वितीय सेटलमेंट के अधिकारियों को रेकॉर्ड का इन्दाज किया जाना चाहिए था। लेकिन हस्तगत प्रकरण में विचारित भूमि गत सेटलमेंट के अनुसार आबादी भूमि में इन्दाज होने के उपरांत द्वितीय भू प्रबंध के समय विना किसी सक्षम आदेश/निर्णय/स्वीकृत के नदी में रेकॉर्ड इन्दाज कर दिया गया। जिसका तत्समय द्वितीय भू प्रबंध विभाग को कोई कानूनी अधिकारी नहीं था। ऐसा इन्दाज करने से पूर्व सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी का आदेश/निर्णय प्राप्त करना आवश्यक था। जबकि हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य अथवा रस्तावेज विप्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया। जिससे यह जाहिर हो कि आबादी भूमि के स्थान पर गैर भूमिकिन नदी का भाग इन्दाज करने का आदेश पारित हुआ हो। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के अधिमतां अनुसार किसी भी छातेदारों के हकों/अधिकारों में न तो भू प्रबंध विभाग द्वारा कमी जा



स्वीकृती है और न ही जोडा ही जाता है। भू प्रबंध विभाग की प्रक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया जिसके तहत मात्र पूर्व प्रतिष्ठि को नये नाप को दोहराना भर होता है। ऐसी सूत्र में प्रार्थी विचारित भूमि में हुए रेकॉर्ड में करबदल गत सेटलमेंट के अनुसार ही दुकस्ती की जानी न्यायचित प्रतीत होती है। क्योंकि भू प्रबंध विभाग द्वारा विना क्षेत्राधिकार का कृत्य है। साथ ही विप्रार्थी की ओर से अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि पूर्व में उक्त प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विगाराधीन था,जिसमें प्रार्थी द्वारा बंदोबस्त प्रक्रिया को आशेषित किया गया,जिस पर माननीय न्यायालय में भूप्रबन्ध की स्थिति पर सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्रीमान जिला कलक्टर बाडमेर के आदेश क्रमांक/म/14/(28)(1)भूअ./रा.प्र./ 2018 /5153 दिनांक 27.11.2020 द्वारा राजस्व विभाग एवं भू प्रबंध विभाग की संयुक्त टीम गठित कर गत भू प्रबंध एवं वर्तमान भू प्रबंध के नक्शों का सुपरइम्पोजिशन मानचित्र एक पैमाने पर तैय्य करवाया गया था,जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि गत सेटलमेंट के खसरा संख्या 299 का भाग होना पाया गया था,जो तत्समय प्रयत्नित भू प्रबंध के रेकॉर्ड के अनुसार गैर भूमिकिन नदी

उपसभ्य अधिकारी
(S.D.O.) बांसोतरा

जिसमें स्पष्ट साबित होता है कि विवादित भूमि नदी में न होकर आबादी भूमि की के अन्दर है और द्वितीय सेन्टलमेंट द्वारा उक्त भूमि को गैर मुम्किन नदी के खसरे में शामिल करने में लिपिकीय त्रुटि है जो कृत्य बिना क्षेत्राधिकार का है। जहां तक विप्राथी द्वारा विन्दु उठाया कि पूर्व प्रचलित भू प्रबंध के दौरान वादग्रस्त भूमि पर कब्जा / विधिक स्वामित्व होना का दस्तावेज प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया है, उक्त तर्क मानने योग्य नहीं है, क्योंकि प्रार्थी ने विवादित भूमि पर कब्जा / स्वामित्व की शाश्वत तीज प्रतियां पेश की है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

8. लिहाजा प्रार्थी का आवेदन-पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पंचपदरा को आदेशित किया जाता है कि द्वितीय भू प्रबंध के वक्त की गई उक्त त्रुटि को माफिक प्रथम सेन्टलमेंट के अनुसार रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।




(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

आदेश आज दिनांक 30.09.22को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा